

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

सं0सं0-9/आ0-08-25/2026(स्वा0) /पटना, दिनांक:-.....

जिला पदाधिकारी, सहरसा के पत्रांक-398 दिनांक-15.09.2026 द्वारा डॉ0 सुशील कुमार आजाद, प्रभारी अधीक्षक एवं डॉ0 रोशन लाल, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, सहरसा के विरुद्ध मध्याह्न भोजन से बीमार हुए बच्चों का रिपोर्टिंग करने आये मीडिया कर्मी से अभद्र व्यवहार करते हुए मार-पीट करने एवं घटना स्थल पर पूर्व से अधिष्ठापित CCTV कैमरे से फुटेज को मिटा का आरोप प्रतिवेदित किया गया है।

2. जॉच प्रतिवेदन के आलोक में नियुक्ति प्राधिकार द्वारा डॉ0 आजाद एवं डॉ0 लाल को तत्काल प्रभाव से स्वास्थ्य विभाग, बिहार में योगदान करने का विनिश्चय किया गया है।

3. डॉ0 सुशील कुमार आजाद, (कोटि क्रमांक-G643/2025) प्रभारी अधीक्षक एवं डॉ0 रोशन लाल, (कोटि क्रमांक-G4780/2025), चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, सहरसा को निदेशित किया जाता है कि वे तत्काल प्रभाव से स्वास्थ्य विभाग, बिहार (मुख्यालय) में योगदान करना सुनिश्चित करेंगे।

4. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(उपेन्द्र राम)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:-9/आ0-08-25/2026(स्वा0) 1299(98) / पटना, दिनांक:-18.09.26

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, (ले० एवं ह0) बिहार पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै० दा० नि० को०) विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, सहरसा/कोषागार पदाधिकारी, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-क्षेत्रीय अपर-निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, कोशी प्रमंडल, सहरसा/सिविल सर्जन, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।।

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव, स्वा० विभाग के आप्त सचिव/सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार पटना के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- डॉ० सुशील कुमार आजाद, प्रभारी अधीक्षक, सदर अस्पताल, सहरसा एवं डॉ० रोशन लाल, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-प्रशाखा पदाधिकारी 2, 3, 7, 8, 10, 17 एवं 18A को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-आई०टी० मैनेजर, स्वा० विभाग को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अपेन्द्र

18/09/2026

सरकार के अवर सचिव।